रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2687] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937
No. 2687] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3385(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पुड्डुचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पुड्डुचेरी कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. डॉ. जी. श्रीनिवासन —अध्यक्ष
 आचार्य,
 रासायनिक इंजीनियरी विभाग,
 पांडिचेरी, इंजीनियरी महाविद्यालय,
 पुड्डुचेरी - 605014
2. डॉ. टी. गणेशन —सदस्य
 सह-आचार्य,
 वनस्पति विज्ञान विभाग,
 टैगोर कला, महाविद्यालय, पुड्डुचेरी
3. निदेशक, विज्ञान विभाग, —सदस्य सचिव
 प्रौद्योगिकी और पर्यावरण,
 पुड्डुचेरी सरकार

2. प्राधिकरण, पुड्डुचेरी के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, पुड्डुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट हों ।

4. प्राधिकरण, पुड्डुचेरी का विनिश्चय राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा ।

5. प्राधिकरण, पुड्डुचेरी की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार पुड्डुचेरी सरकार से परामर्श करके, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुड्डुचेरी का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	डॉ. बी. कुमारन प्रचार्य, इंदिरा गांधी कला और विज्ञान महाविद्यालय, पुड्डुचेरी	—अध्यक्ष
2.	डॉ. गोविन्द्रादजाने, आचार्य, सिविल इंजीनियरी विभाग, पांडिचेरी, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पुड्डुचेरी	—सदस्य
3.	डॉ. एस. रामकुमार, पशुचिकित्सा और ए. एच. एक्सटेंशन, रीवर, पुड्डुचेरी	—सदस्य
4.	डॉ. ए. योगामूर्ति सह-आचार्य, पारिस्थितिकीय और पर्यावरण विज्ञान विभाग, पांडिचेरी, विश्वविद्यालय, पुड्डुचेरी ।	—सदस्य
5.	श्री आर. वी. वी. सत्यनारायणन, रसायन विभाग, डा. एस. आर. के. राजकीय कला महाविद्यालय, यनम	—सदस्य
6.	डॉ. के. एम. गोपीनाथन, सह-आचार्य, प्राणी विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी राजकीय कला महाविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, माहे	—सदस्य
7.	डॉ. के. सम्बंदन, सह-आचार्य, पादप विज्ञान विभाग, आवयार, राजकीय महिला महाविद्यालय,कराइकल	—
8.	डॉ. पी. कविता वासुदेवन, आचार्य और प्रधान (कम्युनिटी ओषधि) कम्युनिटी ओषधि विभाग, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, वजहूदाउर रोड, काथिरकमाम, पुड्डुचेरी	—
9.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुड्डुचेरी सरकार	—सचिव

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुड्डुचेरी का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुड्डुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

IndiaCode

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुड्डुचेरी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति से पर पहुंचने का प्रयास करेगा, और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जाता है तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा ।

9. पुड्डुचेरी सरकार, प्राधिकरण, पुड्डुचेरी तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुड्डुचेरी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु एक अभिकरण अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय तथा संभारतंत्रीय सहायता, जिसके अंतर्गत आवास परिवहन भी है और अपने सभी कानूनी कृत्यों की बावत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी ।

10. पुड्डुचेरी, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुड्डुचेरी को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते, महंगाई भत्ते, पुड्डुचेरी सरकार के संबंधित नियमों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[सं. जे-11013/51/2007-1ए. II(1)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Puducherry (hereinafter referred to as the Authority, Puducherry) comprising of the following members, namely:—

(a) Dr. G. Srinivasan —Chairman;
Professor,
Department of Chemical Engineering, Pondicherry
Engineering College , Puducherry – 605 014

(b) Dr. T. Ganesan —Member;
Associate Professor,
Department of Botany,
Tagore Arts College, Puducherry

(c) Director, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry —Member Secretary.

2. The Chairman and members of the Authority, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Puducherry shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Puducherry shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Puducherry.

5. For the purposes of assisting the Authority, Puducherry, the Central Government, in consultation with the Government of Puducherry, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry comprising of the following members, namely :—

(i) Dr. B. Kumaran —Chairman;
Principal,
Indira Gandhi College of Arts and Science,
Puducherry.

(ii) Dr. S. Govindaradjane —Member;
Professor,
Department of Civil Engineering,
Pondicherry Engineering College,
Puducherry.

(iii)	Dr. S. Ram Kumar Department of Veterinary and AH Extension, River, Puducherry.	—Member;
(iv)	Dr. A. Yogamoorthi Associate Professor Department of Ecology and Environmental Science, Pondicherry University, Puducherry.	—Member;
(v)	Shri. R.V.V. Satyanarayana Department of Chemistry, Dr. S.R.K. Government Arts College, Yanam.	—Member;
(vi)	Dr. K.M. Gopinathan Associate Professor Department of Zoology, Mahatma Gandhi Government Arts College, University of Pondicherry, Mahe.	—Member;
(vii)	Dr. K. Sambandan Assistant Professor, Department of Plant Science, Avvaiyar Government College for Women, Karaikal.	—
(viii)	Dr. P. Kavita Vasudevan Professor and Head (Community Medicine), Department of Community Medicine, Indira Gandhi Medical College and Research Institute, Vazhudavur Road, Kathirkamam, Puducherry.	—
(ix)	Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry.	—Secretary.

IndiaCode

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Puducherry shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Puducherry and the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority for Puducherry and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of Puducherry.

[No. J-11013/ 51/ 2007- IA. II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.